FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

तहसीलदार बेगूं बनाम मांगी

करम मुकदमा .... नं. 114/19 सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26/8/19	प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 LRA के तहत पेश किया स्वायत्त तहसीलदार, बेगूं द्वारा प्रस्तुत किया है। बाद जाँच प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी तहसीलदार, बेगूं में दि. 28/8/19 को पेश हो।	
28/8/19	पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी तहसीलदार भूमि अभिलेख [illegible] पत्रावली में तहसीलदार को सुना गया प्रार्थी तहसीलदार ने बताया कि मांगीबाई द्वारा वक्त आवंटन अपना आवेदन मांगीबाई W/o हरलाल गुर्जर के नाम से प्रस्तुत किया था, किन्तु आवंटन आदेश पटवारी द्वारा दिये जाते वक्त त्रुटिवश मांगीबाई पिता हरलाल गुर्जर सा. देह के नाम से दिये जाने के कारण नामान्तरण भरते वक्त मांगीबाई पिता हरलाल का भरा गया। पत्रावली में प्रस्तुत [illegible] की धारा 136 दस्तावेज के आधार पर [illegible] LRA में सुधार जाने का आदेश फरमावें। हमने पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी, आवंटन पत्र की सत्यप्रति, नकल नामान्तरण व राशन कार्ड आदि का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया आवंटी मांगीबाई पिता हरलाल गुर्जर का नाम खाते में मांगीबाई W/o हरलाल गुर्जर सा. देह शुद्ध किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 LRA का स्वीकार किया जाता है। मौजा कास्ल्या की ख. नं. 1097/10 रकबा 0.31 है. भूमि में खातेदार मांगीबाई पिता हरलाल गुर्जर के स्थान पर मांगीबाई पत्नि हरलाल गुर्जर सा. देह का नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से	

Scanned by CamScanner

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... जो इस हुक्म ... में जारी हुए
	लिखाया बावत आवश्यक किया गया। प्रति तहसीलदार, बेगूं को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मय [illegible] से वापस हो। (हस्ताक्षर) 20/8/18 सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या :: 114/2019

तहसीलदार (भूमिधारी) बेगूँ तहसील, बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

मांगीबाई पिता हरलाल गुर्जर निवासी काटून्दा
तहसील, बेगूँ विपक्षीया

उपस्थित :: तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 28.08.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) बेगूँ द्वारा जरिये पत्रांक 787 दिनांक 10.07.2019 से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि प्रार्थीया को ग्राम काटुन्दा की आराजी नं. 1097/10 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि मि.नं. 172/98 से आवंटन होकर नामान्तरण संख्या 1226 दिनांक 13.09.98 से गैरखातेदारी में दर्ज हुई एवं वर्तमान रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज है। यह कि मौतबिरानो से जाहिर आया कि मांगीबाई पिता का नाम देवी गुर्जर है। एवं पति का नाम हरलाल गुर्जर था। मांगीबाई का पीर ग्राम काटुन्दा में है एवं सुसराल ग्राम हरिपुरा ग्राम पंचायत डोराई में था। ग्राम हरिपुरा डोराई बांध के डुब क्षैत्र में आने एवं पति हरलाल की मृत्यु होने से प्रार्थीया वर्तमान में ग्राम काटुन्दा में निवास कर रही है। आवंटित भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा है।

मांगीबाई पिता हरलाल गुर्जर का नाम की अन्य कोई महिला नहीं है। जिसे की यह आवंटित हुई है। मांगीबाई उसके सुसराल की भूमि डुब में आ जाने एवं स्वयं पति हरलाल की मृत्यु होने से पीहर काटुन्दा में ही निवास कर रही है। अतः पटवारी पटवार हल्का काटुन्दा की जांच रिपोर्ट मय पर्चामौका एवं मूल ही पत्रावली संलग्न कर नाम में शुद्धि किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली में न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रार्थी तहसीलदार भूमिधारी को सुना गया तथा पत्रावली में रिपोर्ट पटवारी हल्का काटुन्दा दिनांक 10.07.2019 का अवलोकन किया गया, रिपोर्ट में अंकन किया हुआ है कि प्रार्थीया को ग्राम काटुन्दा में आराजी नम्बर 1097/10 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि मि0नं0 172/98 दिनांक 12.5.98 से आवंटन हुई थी जो ना0सं0 1226/11.03.98 से गैरखातेदारी हक से दर्ज हुई एवं वर्तमान रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है।

ग्राम मोतबिरानो से जाहिर आया कि मांगीबाई के पिता का नाम देवी गुर्जर एवं पति का नाम हरलाल गुर्जर था। मांगीबाई का पीहर ग्राम काटुन्दा में है एवं ससुराल ग्राम हरिपुरा ग्राम पंचायत डोराई में था। ग्राम हरिपुरा डोराई बाधा के डूब क्षैत्र में आने एवं पति हरलाल की मृत्यु होने से प्रार्थीया वर्तमान में ग्राम काटुन्दा में निवास कर रही है। आवंटित भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा है। मांगीबाई पिता हरलाल गुर्जर नाम का अन्य कोई महिला नहीं है जिसे की यह आवंटित हुई है।मांगीबाई उसके ससुराल की भूमि डूब में आ जाने एवं पति हरलाल की मृत्यु होने से पीहर काटुन्दा में ही निवास कर रही है।

पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी एवं पर्चामौका रिपोर्ट तथा नकल जमाबंदी मौजा काटुन्दा की आराजी संख्या 1097/10 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि सं. 2072 से 75 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया उक्त भूमि श्री मांगी पिता हरलाल गुर्जर के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामा.सं. 26 के अवलोकन से

Scanned by CamScanner

पाया गया कि श्री मांगी पिता हरलाल गुर्जर का नाम गैरखातेदारी से अंकन किया हुआ है जिसमें पूर्व में पत्नि हरलाल लिखा गया था जिसे काटा जाकर पिता का अंकन किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र की सत्यापित नकल का आवलोकन किया जाने पर पाया कि उक्त आवंटन फार्म मांगी पत्नि हरलाल गुर्जर के नाम से आवंटन हेतु आवेदन किया गया था तथा आदेश में मांगी पिता हरलाल गुर्जर का नाम सहवन से लिखा गया है जबकि मांगी पत्नि हरलाल आवेदन अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए था, परिवार राशनकार्ड की छायाप्रति में मांगीबाई पत्नि हरलाल गुर्जर के नाम का अंकन किया हुआ है, इस प्रकार उक्त नाम के आगे पिता एवं पति लिखने की त्रुटी को सुधार किया जाना दस्तावेज से सिद्ध होता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा काटून्दा आराजी संख्या 1097/10 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि में खातेदार मांगीबाई पिता हरलाल गुर्जर के स्थान पर मांगीबाई पत्नि हरलाल गुर्जर सा.देह खातेदार का नाम अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश प्रति तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ दी जावें।

आदेश आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

28/8/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला-चित्तौड़गढ़